

प्रसार भारती/Prasar Bharati
(भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster)
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

डा. सं. 904/51/2019-20/एपीआईओ/आरटीआई

दिनांक 24/06.2019

परिपत्र


विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सभी आरटीआई पत्रों के बारे में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचित करने हेतु ।

यद्यपि अधिकांश आरटीआई आवेदन/अपील एवं सीआईसी नोटिस प्रथमतः नोडल केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/आरटीआई सैल को प्राप्त होता है । जिसे सहायक जन सूचना अधिकारी आरटीआई सैल द्वारा संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को स्थानांतरित किया जाता है । आरटीआई सैल द्वारा इस पर आगे निगरानी रखी जाती है एवं समय-समय पर इस संबंध में रिटर्न भी दिया जाता है ।

परन्तु कुछ केसों में देखा गया है कि आरटीआई आवेदन/अपील एवं सीआईसी नोटिस संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को सीधे पहुंच जाता है तथा उनका निपटारा भी हो जाता है ऐसे केसों का मॉनिटरिंग तथा रिटर्न में उल्लेखित नहीं हो पाता है ।

अतः सभी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे केसों में जबाब देने से पूर्व भी आवेदन की प्रति आरटीआई सैल को भेजे ।

भवदीय


(राजीव सिन्हा) 24/6.

उप महानिदेशक प्रशा. (आरटीआई)

1. सभी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
2. सभी प्रथम अपीलीय अधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

दूरदर्शन महानिदेशक के निजी सचिव ।